Indian Council of Forestry Research and Education

(An autonomous Body of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)

P.O. New Forest, Dehra Dun – 248006

"ICFRE Awards for Excellence in Forestry - 2019"

Last date of receipt of Application extended to

15th December,2019

"ICFRE Awards for Excellence in Forestry" are given for original and outstanding work/research contribution. The categories are (a) ICFRE Personnel (**Five Awards**) (b) Non-ICFRE Individuals, Institutions and Organizations (**Six Awards**) (c) ICFRE Lifetime Achievement Award in Forestry **(One Award).**

Detailed advertisement with guidelines and proforma is enclosed and is also available at the office of ADG (Education & R.B.).

Last date of receipt of application is now been extended to 15.12.2019.

Complete application should be sent to

ADG (Education & RB)
Indian Council of Forestry Research and Education
P.O. New Forest, Dehra Dun – 248006
Tel: 0135-222-4850, 0135-2758348, Fax: 0135-2758571
E-mail: adg_edu@icfre.org, rb.icfre@gmail.com

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था)
डाकघर–न्यू फॉरेस्ट, देहरादून– 248 006

'वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा0वा0अ0शि0प0 पुरस्कार–2019'

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 15 दिसम्बर 2019 तक बढ़ाया जाता है।

'वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा0वा0अ0शि0प0 पुरस्कार' मौलिक और विशिष्ट कार्य/अनुसंधान योगदान के लिए दिया जाता है। श्रेणियां है : (क) भा0वा0अ0शि0प0 कार्मिक **(पाँच पुरस्कार)** (ख) गैर–भा0वा0अ0शि0प0 व्यक्ति, संस्थाएं और संगठन **(छः पुरस्कार)** (ग) वानिकी में भा0वा0अ0शि0प0 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड **(एक पुरस्कार)**

दिशानिर्देश एवं प्रपत्र विस्तृत विज्ञापन के साथ संलग्न हैं तथा सहायक महानिदेशक (शिक्षा एवं भर्ती बोर्ड) के कार्यालय में भी उपलब्ध है, **प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 15/12/2019 तक बढ़ाया जाता है।**

पूर्ण प्रार्थनापत्र निम्न पते पर भेजा जा सकता है:

सहायक महानिदेशक (शिक्षा एवं भर्ती बोर्ड)
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
डाकघर–न्य फॉरेस्ट, देहरादून– 248 006
दूरभाषः 0135–222–4850, 0135–2758348, **फैक्सः** 0135–2758571
ई–मेलः adg_edu@icfre.org, rb.icfre@gmail.com

ICFRE AWARDS

OF

EXCELLENCE IN FORESTRY 2019

INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH AND EDUCATION

DEHRADUN

ICFRE AWARDS OF EXCELLENCE IN FORESTRY- 2019

1. Nominations are invited for ICFRE awards of excellence in forestry- 2019 from individuals and institutions who have done pioneering and exemplary work in the field of forestry.

The main objectives of Awards are:

- To promote and motivate the professional competence in the scientific community, including forestry professionals, technical persons and research scholars in the field of forestry.
- To encourage individuals, farmers, Village Forest Committees, Self Help Groups, institutions, organizations, NGOs and forest based industries who have contributed in the field of forestry.
- To recognize practical & applied forestry research oriented performance which has led to public welfare.
- To felicitate person(s) who have made significant contribution towards the cause of forestry.

2. Key features of the awards:

There shall be a total of 12 awards in the following three broad categories:

(a) Awards for ICFRE personnel serving in ICFRE & its institutes and centres

(b) Awards for non-ICFRE individuals, institutions & organizations.

(c) ICFRE Lifetime Achievement award in Forestry.

A. **Awards for ICFRE personnel serving in ICFRE (HQ) and its Institutes/ Centres**

A (i) ICFRE outstanding Research Award: Under this category, there shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with a citation and a plaque, for outstanding research done in the field of Forestry.

A (ii) ICFRE Young Professional Award: Under this category, there shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with a citation and a plaque for the outstanding contribution made by the young ICFRE professional (age under 40 yrs.) working in ICFRE.

A(iii) ICFRE Woman Professional Award: Under this category, there shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with a citation and a plaque for the outstanding contribution by a woman ICFRE professional working in ICFRE.

A(iv) ICFRE Technology Innovation Award: There shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with a citation and a plaque, for an outstanding technology innovation which has commercial/industrial application in the field of Forestry.

A (v) ICFRE Best Research Paper Award: There shall be **one** award of Rs. 10,000/- with a certificate for the Best Research Paper published by an ICFRE professional.

B. **Awards for Non-ICFRE Individuals, Institutions and Organizations**

B (i) ICFRE Forestry Research Award: There shall be **two** awards under this category

B (i a) An award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for State & UTs Forest Departments/Forest Corporations /State Agricultural Universities for their outstanding contributions in frontier areas of scientific research for the cause of forestry.

B (i b) An award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for individuals/NGOs for their outstanding contributions in frontier areas of scientific research for the cause of forestry.

B(ii) ICFRE Community Forest Management Award: There shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for the JFMCs/EDCs/Panchayats for their outstanding contributions for the cause of forest management and conservation.

B (iii) ICFRE Forest based Industry Award: There shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for the forest based (Micro and Small Enterprises) for adopting best green practices and thereby helping in sustainable management of forests and utilization of forest produce.

B (iv) ICFRE Agroforestry Award: There shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for the farmer(s) for adopting innovative/modern agroforestry practices.

B (v) ICFRE Forest Management Award: There shall be **one** award of Rs. 25,000/- along with the citation and a trophy/plaque for a Forest Division of the State Forest Departments/Forest Corporations for improving the forest productivity and sustainable management of forests.

C. **ICFRE Lifetime Achievement Award in Forestry**: There shall be **one** award under this category of Rs. 50,000/- along with citation and a trophy/plaque. The award will be given to a professional working for the cause of Forestry Research, Management, Education and/or Extension, for ICFRE and Non ICFRE individuals, for exceptionally distinguished work done.

3. General Conditions

a) The Council shall have sole right of selection of the recipients of the awards, including the formulation of the guidelines governing such selections.

b) Due weightage will be given to publication, patenting or commercial application of the research findings.

c) The award (other than lifetime achievement awards) would be considered on the basis of outstanding contribution made through the work done during five years preceding the year of award. In case of lifetime achievement award, the outstanding contribution made in preceding fifteen years would be considered.

(d) The application for award should be submitted in the prescribed format duly forwarded/recommended by the competent authority wherever prescribed for each category of award.

(e) An institution, team of scientists or individuals or any other recipient once awarded for their work shall not be eligible again for next five years.

(f) Only Indian citizens shall be eligible for the awards.

(g) In case of outstanding research work performed jointly and adjudged fit for an award, the amount of award would be equally shared among the awardees with individual plaque, limiting to maximum of three.

(h) In case of non-ICFRE Institutions/ individuals, selection will be made on the basis of the certified information provided in the application in the format so devised.

(i) Nominations received for the Award will be valid for the year for which they have been made. Past nominations will not be carried forward. A person not selected for the Award for a particular year can be re-nominated in future years with fresh application.

(j) Each nomination or application for these awards shall be accompanied by a detailed statement of the work and achievement of the applicant as the case may be.

(k) Applications under the following conditions will be rendered ineligible:

a. Nominations not forwarded as prescribed will not be considered.
b. Nominations not received in prescribed proforma / incomplete in any respect and /or received after the last date will not be considered.
c. Applicants found to be suppressing information or giving false and misleading information would be disqualified for grant of awards of excellence in forestry.

4. Broad Criteria for selection of awardees

'ICFRE Awards Committee' duly constituted by DG, Indian Council of Forest Research & Education (ICFRE) Rules shall evaluate the nominations received as per the following broad criteria as required for each category of award. The broad criteria for selection of awardees are.

a) Scientific, technological and socio-economic relevance
b) Scientific validity and accuracy of experimental data
c) Significant advancement by the findings/applications to contemporary knowledge and understanding
d) Originality in thinking, its path breaking nature and its high potential value for the future.
e) Commercial application/commercialization of technology/ innovation.
f) Effect on people and communities especially marginalized population especially in rural and forest fringe areas.

Proforma for nomination can be downloaded from the ICFRE's website www.icfre.gov.in or www.icfre.org and web site of MoEF & CC for different categories of awards as below.

1. Proforma A: ICFRE Scientists serving in ICFRE (HQ) and its Institutes / Centres
2. Proforma B: Awards for Non-ICFRE Individuals, Institutions and Organizations
3. Proforma C: ICFRE Lifetime Achievement Award in Forestry

Nominations, with comments of the recommending authority wherever prescribed should be sent to the **Astt. Director General (Edu & RB)** on or before **15.12.2019.** The Address for communication is

Assistant Director General (Education)

ICFRE (HQ)

FRI Campus, New Forest Post

Dehradun, Uttarakhand, Pin -248006

All applications along with the enclosures should be submitted in triplicate. No applications would be accepted if sent through email or received after due date.

PROFORMA-A

ICFRE AWARDS OF EXCELLENCE IN FORESTRY- 2019

(ICFRE PERSONNEL SERVING IN ICFRE (HQ) AND ITS INSTITUTES / CENTRES)

(Submit separate application for each category of award. Applications to be submitted in triplicate with supporting documents)

1. Name of Applicant (s) (in capital letters): ____

2. Present place of posting (ICFRE(HQ)/Institute/Centre): _____________________________

3. Designation and Division: ____

4. Sex: Male [ ] Female [ ]

5. (a) Date of Birth : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ (DD/MM/YEAR)

   (b) Age as on ______ : _______ years / ______ months

6. Address (O)

   (R)

7. Tel/mobile No.: Tel (O) [ ] M [ ]

   E Mail: [ ]

8. Category of Award for which applied : (√ mark the Category)

A (i) ICFRE Outstanding Research Award [ ]

A (ii) ICFRE Young Professional Award: [ ]

A (iii) ICFRE Best Research Paper Award: [ ]

A (iv) ICFRE Technology Innovation Award: [ ]

A (v) ICFRE Woman Professional Award: [ ]

9. Details of the academic qualifications and positions held:

a) Academic qualifications (Graduation and above) :

b) Positions held (during last 5 years) :

Sl.No.	**Period**	**Designation**	**Institute**	**Division**

10. Details of the work claimed for award (about 500 words. Please attach supporting documents as Annexure)

11. Impact of the work including socio-economic and monetary benefits (About 500 words. Please attach supporting documents as Annexure) :

12. Explain how the said work has contributed to give a leadership position and recognition to ICFRE (about 200 words)

13. Details of research papers/publications/patents on the work claimed for award (mention ratings wherever applicable) :

14. Details of the project under which the work was done along with the contribution of the applicant and other scientists involved :

15. Any other relevant information:

16. List of Publications/photographs/video CD/documents etc., enclosed relating to works described above:

1.	2.
3.	4.
5.	6.

17. Certificate:

It is certified that all statements made above are true to the best of my knowledge.

Place____________________

Date_____________________

(Signature of the Applicant)

18. Recommendations of the Director of ICFRE Institute/DDG/Director (IC)

Place________________

Date_________________

(Signature and Seal of the
Director of ICFRE Institute/DDG/Director (IC))

Instructions

1. This proforma (PROFORMA–A) is for the awards for ICFRE personnel serving in ICFRE (HQ) and its Institutes/ Centres
2. There are 5 categories of awards, one award in each of the following categories as below
    - (i) **A (i) ICFRE outstanding Research Award**
    - (ii) **A (ii) ICFRE Young Professional Award:**
    - (iii) **A (iii) ICFRE Best Research Paper Award:**
    - (iv) **A (iv) ICFRE Technology Innovation Award:**
    - (v) **A (v) ICFRE Woman Professional Award:**
3. Applications should be submitted in triplicate with supporting documents. Applications received by e mail or after due date will not be considered.
4. Separate application should be submitted for each category of award.
5. The awards would be considered on the basis of outstanding contribution made through the work done during five years preceding the year of award (2014-2018).
6. In case a team of scientists is applying for an award, the personal details of the communicating applicant (address, contact nos, e-mail etc.) may be given.
7. In case of outstanding research work performed jointly and adjudged fit for an award, the amount of award would be equally shared among the awardees with individual plaque, limiting to maximum of three.
8. The recipient once awarded for their work shall not be eligible again for next five years.
9. In case of ICFRE Young Professional Award**,** outstanding contribution made by the young ICFRE professional (age under 40 yrs.) working in ICFRE will be considered.
10. The application for award should be submitted in the prescribed format duly forwarded/recommended by the Director of the institute/DDG/Director(IC). Nominations not forwarded as prescribed above will not be considered.
11. Nominations not received in prescribed proforma / incomplete in any respect will not be considered.
12. Applicants found to be suppressing information or giving false and misleading information would be disqualified for grant of awards of excellence in forestry.
13. The note on the awards placed in the website should also be referred to for other details.

PROFORMA-B

ICFRE AWARDS OF EXCELLENCE IN FORESTRY- 2019

AWARDS FOR NON-ICFRE INDIVIDUALS, INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS

(Submit separate application for each category of award. Applications to be submitted in triplicate with supporting documents)

1. Name of Applicant(s) /Institution (in capital letters): ___________________________________

2. Sex (Where ever Applicable): Male ☐ Female ☐

3. (a) Date of Birth (Where ever Applicable) : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ (DD/MM/YEAR)

4. Address (official/residential) :

5. Tel/mobile No.: Tel ☐ M ☐

   E Mail: ☐

6. Category of Award for which applied : (√ mark the Category)

B (i) ICFRE Forestry Research Award:

1) State & UTs Forest Departments/Forest Corporations/ State Agricultural Universities ☐
2) Individuals/NGOs ☐

B (ii) ICFRE Community Forest Management Award ☐

B (iii) ICFRE Forest based Industry Award: ☐

B (iv) ICFRE Agro forestry Award ☐

B (v) ICFRE Forest Management Award: ☐

7. Details of work claimed for award (about 500 words. Please attach supporting documents as Annexure)

8. Impact of the contributions including socio-economic and monetary benefits (about 200 words. Please attach supporting documents as Annexure)

9. Details of research papers/publications /patents on the work claimed for award :

10. Any other relevant information:

11. List of Publications/photographs/video CD/documents etc., enclosed relating to works described above:

7. 2.

3. 4.

5. 6.

12. Certificate:

It is certified that all statements made above are true to the best of my knowledge.

Place____________________

Date_____________________

(Signature of applicant/authorized signatory of Institution/organization with name and designation)

13. Recommendations of the Head of institution (Only in case of individual applicants, who are employed)

Place________________

Date_________________

(Signature and Seal of the Head of Institution)

Instructions

1. This proforma (PROFORMA B) is for the awards for Non-ICFRE Individuals, Institutions and Organizations

2. There are 5 categories of awards, the details of which are given below

   B (i) ICFRE Forestry Research Award:

   1) State & UTs Forest Departments/Forest Corporations/

      State Agricultural Universities (one award)

   2) Individuals/NGOs (one award)

   B (ii) ICFRE Community Forest Management Award (one award)

   B (iii) ICFRE Forest based Industry Award (one award)

   B (iv) ICFRE Agro forestry Award (one award)

   B (v) ICFRE Forest Management Award (one award)

3. The awards would be considered on the basis of outstanding contribution made through the work done during five years preceding the year of award (2014-18).
4. Applications should be submitted in triplicate with supporting documents. Applications received by e-mail or after due date will not be considered.
5. Separate application should be submitted for each category of award.
6. The information like sex and date of birth are to be provided in case of individual awards only. In case a team of individuals is applying for an award, the personal details of the communicating applicant (Address, date of birth, contact nos, e-mail etc.) may be given.
7. In case of outstanding research work performed jointly and adjudged fit for an award, the amount of award would be equally shared among the awardees with individual plaque, limiting to maximum of three.
8. The recipient once awarded for their work shall not be eligible again for next five years.
9. The application for award should be submitted in the prescribed format only. In case of applicants who are applying for individual awards and are employed personnel, the application should be duly forwarded by the head of the institution.
10. Nominations not received in prescribed proforma / incomplete in any respect will not be considered.
11. Applicants found to be suppressing information or giving false and misleading information would be disqualified for grant of awards of excellence in forestry.
12. The note on the awards placed in the website should also be referred to for other details.

PROFORMA-C

ICFRE AWARDS OF EXCELLENCE IN FORESTRY- 2019

CATEGORY C: ICFRE LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD IN FORESTRY

(Applications to be submitted in triplicate with supporting documents)

1. Name of Applicant (in capital letters) : ______________________________________

2. Sex : Male [ ] Female [ ]

3. (a) Date of Birth : ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ (DD/MM/YEAR)

4. Address (official/residential) :

5. Tel/mobile No.: Tel [ ] M [ ]

   E-Mail: [ ]

6. Details of the academic qualifications (Graduate and above) :

7. Details of the work claimed for award (about 500 words. Please attach supporting documents as Annexure)

8. Impact of the work including socio-economic and monetary benefits (about 500 words. Please attach supporting documents as Annexure) :

9. Details of research papers/publications /patents on the work claimed for award:

10. Any other relevant information:

11. List of Publications/photographs/video CD/documents etc., enclosed relating to works described above:

8.	2.
4.	4.
6.	6.

12. Certificate:

It is certified that all statements made above are true to the best of my knowledge.

Place____________________

Date_____________________

(Signature & name of applicant)

13. Comments of the recommending authority (In case of employed personnel only) **:-**

Place________________

Date_________________

(Signature and Seal of the
Head of Organization/recommending authority)

Instructions

1. This proforma (PROFORMA C) is for the awards for ICFRE Lifetime Achievement Award in Forestry
2. There shall be **one** award under this category and will be given to a professional (ICFRE and Non ICFRE individuals) working for the cause of Forestry Research, Management, Education and/or Extension, for exceptionally distinguished work done.
3. Applications should be submitted in triplicate with supporting documents. Applications received by email and after due date will not be considered.
4. The application for award should be submitted in the prescribed format only. In case of applicants who are employed personnel, the application should be duly forwarded by the head of the institution.
5. Nominations not received in prescribed proforma / incomplete in any respect will not be considered.
6. Applicants found to be suppressing information or giving false and misleading information would be disqualified for grant of awards of excellence in forestry.
7. The note on the awards placed in the website should also be referred to for other details.

वानिकी में उत्कृष्टता
के लिए
भा.वा.अ.शि.प. अवार्ड, 2019

भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद्
देहरादून

'वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा.वा.अ.शि.प. अवार्ड–2019'

1. उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं से 'वानिकी मे उत्कृष्टता के लिए भा.वा.अ.शि.प. अवार्ड–2019' के लिए नामांकन आंमत्रित किए जाते है, जिन्होंने वानिकी के क्षेत्र में अग्रगामी एंव अनुकरणीय कार्य किया है।

अवार्ड के मुख्य उद्देश्य हैंः

- वानिकी के क्षेत्र मे वानिकी व्यावसायकों,तकनीकी व्यक्तियों और रिसर्च स्कॉलरों सहित वैज्ञनिक समुदाय मे व्यावसायिक क्षमता प्रोत्साहित एंव प्रेरित करना।
- उन व्यक्तियों, किसानों, ग्राम वन समितियों स्वयं सहायता समुहों, संस्थाओं, संगठनो, गैर सरकारी संगठनों और वनाधारित अद्योगों को प्रोत्साहित करना, जिन्होंने वानिकी के क्षेत्र में सहयोग किया है।
- उन प्रायोगिक एंव व्यावहारिक वानिकी अनुसंधानोन्मुखी प्रदर्शन की पहचान करना, जिसके फलस्वरूप जनसाधरण का कल्याण हुआ है।
- उन व्यक्ति/व्यक्तियों का अभिनन्दन करना, जिन्होने वानिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2. आवार्ड की मुख्य विशिष्टताएं :–

निम्न तीन विस्तृत श्रेणीयों में कुल **12 अवार्ड** होगेः

(क) भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद तथा इसके संस्थानो एंव केन्द्रों मेंकार्यरत भा.वा. अ.शि.प. के कार्मिकों के लिए अवार्ड।

(ख) गैर –भा.वा.अ.शि.प. व्यक्तियों, संस्थाओं एंव संगठनों के लिए अवार्ड।

(ग) वानिकी में भा.वा.अ.शि.प. लाइफटाइम अचीवमेंन्ट अवार्ड

(क) भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् (मुख्यालय) और इसके संस्थानो/केन्द्रों मे कार्यरत भा.वा.अ.शि.प. के कार्मिकों के लिए अवार्ड।

क(i) भा.वा.अ.शि.प. विशिष्ट अनुसंधान अवार्डः इस श्रेणी के अन्तर्गत वानिकी के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट अनुसंधान के लिए एक प्रशंसा–पत्र एंव पट्टिका के साथ रूपये 25,000/– का एक अवार्ड होगा।

क(ii) भा.वा.अ.शि.प. युवा व्यावसायिक अवार्डः इस श्रेणी के अन्तर्गत भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद्में कार्यरत युवा भा.वा.अ.शि.प. व्यावसायिक (40 साल से कम आयु) द्वारा किए गए विशिष्ट सहयोग के लिए प्रशंसा–पत्र तथा पट्टिका के साथ रूपये 25,000/– का एक अवार्ड होगा।

क(iii) महिला व्यावसायिक अवार्डः इस श्रेणी के अन्तर्गत, भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद्में कार्यरत महिला भा.वा.अ.शि.प. व्यावसायिक द्वारा किए गए विशिष्ट सहयोग के लिए प्रशंसा–पत्र तथा पट्टिका के साथ रूपये 25,000/– का एक अवार्ड होगा।

क(iv) भा.वा.अ.शि.प. प्रौद्योगिकी नवाचार अवार्डः उस एक विशिष्ट प्रौद्योगिकीनवाचार के लिए प्रशंसा–पत्र तथा पट्टिका के साथ रूपये 25,000/– का एक अवार्ड होगा, जिसका वानिकी के क्षेत्र में व्यापारिक/औद्योगिक अनुप्रयोग है।

क(v) भा.वा.अ.शि.प. सर्वोत्तम शोध–पत्र अवार्डः भा.वा.अ.शि.प. व्यावसयिक द्वारा प्रकाशित सर्वोत्तम शोध–पत्रके लिए लिए प्रशंसा–पत्र के साथ रूपये 10,000/– का एक अवार्ड होगा।

(ख) **गैर –भा.वा.अ.शि.प. व्यक्तियों, संस्थओं एंव संगठनों के लिए अवार्ड**

ख (i) भा.वा.अ.शि.प. वानिकी अनुसंधान अवार्डः इस श्रेणी के अन्तर्गत **दो** अवार्ड होगेः

ख(i-ए) राज्य एंव संघ क्षेत्र वन विभागों / वन निगमों / राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए, वानिकी के निमित्त वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों में उनके विशिष्ट सहयोग हेतु, प्रशंसा–पत्र तथा एक ट्राफी / पट्टिका के साथ रूपये 25,000 / – का एक अवार्ड।

ख(i-बी) व्यक्तियो / गैर सरकारी संगठनों के लिए, वानिकी केनिमित्त वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रणी क्षेत्रों मे उनके विशिष्ट सहयोग हेतु, प्रशंसा–पत्र तथा एक ट्राफी / पट्टिका के साथ रूपये 25,000 / – का एक अवार्ड।

ख(ii) **भा.वा.अ.शि.प. सामुदायिक वन प्रबंध अवार्डः** संयुक्त वन प्रबंध समितियों / ई.डी.सी. / पंचायतों के लिए, वन प्रबंध एंव संरक्षण के क्षेत्र मे उनके विशिष्ट सहयोग हेतु, प्रशंसा–पत्र तथा एक ट्राफी / पट्टिका के साथ रूपये 25,000 / – का एक अवार्ड होगा।

ख(iii) **भा.वा.अ.शि.प. वनाधरित उद्योग अवार्डः** वनाधरित सूक्ष्म एंव लघु उद्यगों के लिए, सर्वोत्तम हरित पद्धतियां अपनाने और इसके द्वारा वन उपज के उपयोजन एंव वनों के पोषणीय प्रबंधन में सहायता करने हेतु, प्रशंसा–पत्र एवं एक ट्राफी / पट्टिका के साथ रूपये 25,000 / – का एक अवार्ड होगा।

ख(iv) **भा.वा.अ.शि.प. कृषि वानिकी अवार्डः** कृषकों के लिए नवीनतम / आधुनिक कृषि वानिकी पद्धतियां अपनाने हेतु, प्रशंसा–पत्र एंव एक ट्राफी / पट्टिका के साथ रूपये 25,000 / – का एक अवार्ड।

ख(v) **भा.वा.अ.शि.प. वन प्रबंध अवार्डः** राज्य वन विभागों / वन निगमों के एक वन प्रभाग के लिए, वन उत्पादकता तथा वनो के पोषणीय प्रबंधन में सुधार करने हेतु, प्रशंसा–पत्र एंव एक ट्राफी / पट्टिका के साथ रूपये 25,000 / – का एक अवार्ड।

(ग) **वनिकी में भा.वा.अ.शि.प. लाइफ टाइम अचीवमेट अवार्डः** इस श्रेणी के अर्न्तगत प्रशंसा–पत्र पत्र तथा एक ट्राफी / पट्टिका के साथ रूपये 50,000 / – का एक अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड वानिकी अनुंसधान, प्रबंधन, शिक्षा और / अथवा विस्तार के क्षेत्र मे कार्यरत ऐसे व्यावसायिक को प्रदान किया जाएगा, जिसने इस क्षेत्र मे असाधारण रूप से विलक्षण कार्य किया हो।

3. सामान्य शर्ते

(अ) परिषद् के पास इस प्रकार के चयनों के संचालन के दिशा निर्देशों के नियमन सहित अवार्ड के प्राप्त कर्ताओं के चयन का एकमात्र अधिकार होगा।

(आ) अनुसंधान परिणामो के प्रकाशन, पैटन्टिग अथवा व्यापारिक उपयोग को उचित महत्व दिया जाएगा।

(इ) अवार्ड के पूर्ववर्ती पाँच सालो के दौरान किए गए कार्य के जरिए किए गय विशिष्ट योगदान के आधार पर अवार्ड (लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के अतिरिक्त) देने पर विचार किया जाएगा। लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के मामले में,पूर्ववर्ती पन्द्रह सालों मे किए गए विशिष्ट योगदान पर विचार किया जाएगा।

(ई) अवार्ड के लिए प्रार्थना पत्र विहित फार्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा इसे सक्षम प्रधिकारी जहाँ कहीं अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए विहित किया गया है, द्वारा की पुरी तरह अग्रषित / संस्तुत किया गया है।

(उ) जिस किसी भी संस्था, वैज्ञानिकों के दल अथवा व्यक्तियों अथवा किसी भी अन्य प्राप्तकर्ता ने अपने कार्य के लिए एक बार अवार्ड प्राप्त कर लिया है तो वह अगले पाँच सालो के लिए दुबारा पात्र नहीं होगा।

(ऊ) अवार्ड के लिए केवल भारतीय नागरिक पात्र होंगे।

(ए) संयुक्त रूप से निष्पादित और एक अवार्ड के लिए उपयुक्त पाए गए विशिष्ट अनुसंधान कार्य के मामले मे अवार्ड की राशि को अधिकतम तीन तक की सीमा में रखते हुए एकल पट्टिका के साथ अवार्ड प्राप्त करने वालों में समान रूप से बांटा जाएगा।

(ऐ) गैर–भा.वा.अ.शि.प. संस्थाओं/व्यक्तियों के मामले में इस प्रकार प्रकल्पित फार्मेट में प्रार्थनापत्र में उपलब्ध कराई गई प्रमाणीकृत सूचना के आधार पर चयन किया जाएगा।

(ओ) अवार्ड के लिए प्राप्त नामांकन केवल उस वर्ष के लिए ही वैद्य होगा, जिस वर्ष के लिए उन्हें किया गया है। पूर्व नामांकनो को आगे नहीं ले जाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष वर्ष हेतु अवार्ड के लिए चयनियत नहीं होता है तो वह नए प्रार्थनापत्र के साथ आगामी वषों में पुनः नामांकित हो सकता है।

(औ) इन अवार्डो के लिए प्रत्येक नामांकन अथवा प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक के कार्य एंव अपलब्धि का विस्तृत ब्योरा, जैसा भी मामला हो, सलंग्न होना चाहिए।

(अं) निम्न स्थितियों के तहत प्रार्थनापत्रों को अयोग्य समझा जाएगाः–

   (क) विहित किए गए अनुसार अग्रेषित नहीं किए गए नामकनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

   (ख) विहित प्रपत्र में नही प्राप्त होने वाले नांमाकनो/किसी भी तरह से अपूर्ण और/अथवा अंतिम तारीक के बाद प्राप्त नांमाकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

   (ग) यदि आवेदक गोलमाल सूचना अथवा झूठी एंव भ्रामक सूचना देते हुए पाया गया तो उसे वानिकी में उत्कृष्टता का अवार्ड प्रदान करने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।

4. अवार्डियों के चयन हेतु विस्तुत मापदण्ड

महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् द्वारा गठित **'भा.वा.अ.शि.प. अवार्ड समिति'**, भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) नियमावली के तहत निम्न विस्तृत मापदण्ड, जैसा अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए वांछित है, के अनुसार प्राप्त नामांकनों का मूल्यांकन करेगी। अवार्डियों के चयन हेतु विस्तृत मामदण्ड है।:

(i) वैज्ञानिक, प्रोद्योगिकीय एंव सामाजिक–आर्थिक प्रांसगिकता।

(ii) वैज्ञानिक वैद्यता तथा प्रायेगिक आँकडों की परिशुद्धता।

(iii) पारम्परिक ज्ञान एंव समझ के लिए <u>परिणमों/अनुप्रयोगों</u> द्वारा महत्वपूर्ण उन्नति।

(iv) विचारों में मौलिकता, इसकी पथ अन्वेषक प्रकृति और भविष्य के लिए इसके उच्च्य क्षमता मान।

(v) प्रौद्योगिकी/नवाचार का व्यापरिक अनुप्रयोग/व्यापरिकरण।

(vi) विशेषकर ग्रामीण एंव वन सीमा क्षेत्रों में लोगो एंव समुदायों विशेषतः उपान्तीय आबादी पर प्रभाव।

नीचे दिए अनुसार आवार्डो की विभिन्न श्रेणियों के लिए नामांकन करने हेतु प्रपत्र भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् की बेवसाइट www.icfre.gov.in अथवा www.icfre.org और पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बेब साईट से डाउनलोड किए जा सकते है।

1. प्रपत्र–क :भा.वा.अ.शि.प. (मुख्यालय) और इसके संस्थानो/केन्द्रों में कार्यरत भा.वा.अ.शि.प. के वैज्ञानिक।
2. प्रपत्र–ख :भा.वा.अ.शि.प. व्यक्तियों, संस्थओं एंव संगठनों के लिए अवार्ड।
3. प्रपत्र–ग :वानिकी में भा.वा.अ.शि.प लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।

संस्तुत करने वाले प्राधिकरी की टिप्पणी, जहाँ विहित किया गया है, के साथ नामांकन दिनांक **15 दिसम्बर, 2019** तक अथवा इससे पहले सहायक महानिदेशक (शिक्षा एंव भर्ती बोर्ड) के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। पत्राचार हेतु पता इस प्रकार हैः

सहायक महानिदेशक (शिक्षा)

भारतीय वानिकी अनुसंधान एंव शिक्षा परिषद् (मुख्यालय)

वन अनुसंधान संस्थान परिसर, डाकघर न्यू फॉरेस्ट,

देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन 248006

संलग्नको के साथ सभी प्रार्थनापत्र तीन प्रतियों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ई मेल के जरिए भेजे गए अथवा नियत तिथि के बाद प्राप्त किसी भी प्रार्थनापत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रपत्र–क

वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् अवार्ड–2019

(भा0व0अ0शि0प0 (मुख्यालय) एवं इसके संस्थानों/केन्द्रों में कार्यरत भा0व0अ0शि0प0 कर्मिक)
(अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक–पृथक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थनापत्र सहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

1. आवेदक का नाम ....
2. तैनाती का वर्तमान स्थान (भा0व0अ0शि0प0 मुख्यालय/संस्थान/केन्द्र)....................................
3. पदनाम एवं प्रभाग ....
4. लिंग : पुरूष.................................स्त्री......................................
5. (क) जन्मतिथि :............./................./................(दिन/माह/वर्ष)

   (ख) दिनांक.................को आयुः वर्ष.........................माह.....................
6. पता (कार्यालय) ....

   ....

   (आवास): ....

   ....

7. दूरभाष/मोबाइल नं0 दूरभाष... मोबाइल...ई–मेल.................

   ....
8. अवार्ड की श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया हैः (श्रेणी पर सही का निशान लगाएं)

   क (i) भा0व0अ0शि0प0 विशिष्ट अनुसंधान अवार्डः ☐

   क (ii) भा0व0अ0शि0प0 युवा व्यावसयिक अवार्डः ☐

   क (iii) भा0व0अ0शि0प0 सर्वोत्तम शोधपत्र अवार्डः ☐

   क (iv) भा0व0अ0शि0प0 प्रौद्योगिकी नवाचार अवार्डः ☐

   क (v) भा0व0अ0शि0प0 महिला व्यावसायिक अवार्डः ☐

9. शैक्षिक योग्यताओं एवं धारित पदो का ब्योराः

(अ) शैक्षिक योग्यताएं (स्नातक और इससे अधिक)

(आ) धारित पद (गत पाँच सालो के दौरान)

क्र0सं0	**अवधि**	**पदनाम**	**संस्थान**	**प्रभाग**

10. अवार्ड के लिए घोषित कार्य का ब्योरा (करीब 500 शब्दों में)। कृपया संलग्नक के रूप में सहायक प्रेलखों को संलग्न करें।

11. सामाजिक–आर्थिक एवं आर्थिक लाभों सहित कार्य का प्रभाव (करीब 500 शब्दों में) कृपया संलग्नक के रूप में सहायक प्रलेखो को संलग्न करें।

12. कृपया स्पष्ट करें कि कैसे कथित कार्य ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् को एक नेतृत्व अवस्था एवं पहचान देने में योगदान दिया है। (करीब 200 शब्दों में)।

13. अवार्ड के लिए घोषित कार्य पर शोध पत्रों/प्रकाशनों/पेटेन्टों का ब्योरा (श्रेणी उल्लिखित करें, जहाँ कहीं लागू हैं):

14. आवेदक तथा शामिल अन्य वैज्ञानिकों के योगदान के साथ परियोजना का ब्योरा दे, जिसके अन्तर्गत कार्य किया गया:

15. कोई भी अन्य सम्बद्ध सूचना :

16. उपर्युक्त वणित कार्यो से संबंधित प्रकाशनों की सूची/फोटोग्राफ/वीडियों सी.डी/दस्तावेज आदि संलग्न करे।

1.	2.
3.	4.
5.	6.

17. प्रमाणपत्र :

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

स्थानः
दिनांकः

(आवेदक के हस्ताक्षर)

18. भा0व0अ0शि0प0 संस्थान के निदेशक/उप महानिदेशक/निदेशक (आई. सी.) की संस्तुति

स्थानः
दिनांकः

(भा0व0अ0शि0प0 संस्थान के निदेशक/
उप महानिदेशक/निदेशक (आई. सी.)
के हस्ताक्षर एवं मोहर)

निर्देश

1. अवार्ड हेतु यह प्रपत्र (प्रपत्र–क) भा0व0अ0शि0प0 (मुख्यालय) और इसके संस्थानों/केन्द्रों में कार्यरत भा0व0अ0शि0प0 कार्मिकों के लिए है।
2. अवार्डों की पाँच श्रेणियां है। नीचे दिए अनुसार निम्न श्रेणियों में से प्रत्येक में एक–एक अवार्ड हैः

   (i) क(i) भा0व0अ0शि0प0 विशिष्ट अनुसंधान अवार्डः

   (ii) क(ii) भा0व0अ0शि0प0 युवा व्यावसयिक अवार्डः

   (iii) क(iii) भा0व0अ0शि0प0 सर्वोत्तम शोधपत्र अवार्डः

   (iv) क(iv) भा0व0अ0शि0प0 प्रौद्योगिकी नवाचार अवार्डः

   (v) क(v) भा0व0अ0शि0प0 महिला व्यावसायिक अवार्डः
3. प्रार्थनापत्र सहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियॉ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ई–मेल अथवा नियत तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग–अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. अवार्ड के पूर्ववर्ती पाँच सालों (2014–2018) के दौरान किए गए कार्य के जरिए किए गए विशिष्ट सहयोग के आधार पर अवार्ड पर विचार किया जाएगा।
6. अवार्ड के लिए आवेदन करने वाले वैज्ञानिकों की टीम के मामले में, भाग लेने वाले आवेदकों का व्यक्तिगत ब्योरा (पता, सम्पर्क दूरभाष नं0, ई–मेल आदि) दिया जाए।
7. संयुक्त रूप से निष्पादित और अवार्ड के लिए उपयुक्त पाए गए विशिष्ट अनुसंधान कार्य के मामले में, अवार्ड की राशि को अधिकतम तीन तक की सीमा में रखते हुए एकल पट्टिका के साथ अवार्ड प्राप्त वालो में समान रूप से बांटा जाएगा।
8. अपने कार्य के लिए जिसने एक बार अवार्ड प्राप्त कर लिया है, तो वह अगले पाँच सालों के लिए दुबारा पात्र नहीं होगा।
9. भा0व0अ0शि0प0 युवा व्यावसयिक अवार्ड के मामले में, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में कार्यरत युवा भा0व0अ0शि0प0 व्यावसयिक (40 साल से कम) द्वारा किए गए विशिष्ट योगदान पर विचार किया जाएगा।
10. अवार्ड के लिए प्रार्थनापत्र केवल विहित फार्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे संस्थान के निदेशक/उप महानिदेशक/निदेशक (आई.सी.) द्वारा अग्रेषित/संस्तुत किया गया हो। उपर्युक्त विहित किए गए अनुसार अग्रेषित नहीं किए गए नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. विहित प्रपत्र में नहीं प्राप्त होने वाले/किसी भी तरह से अपूर्ण नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. यदि आवेदक गोल माल सूचना अथवा झूठी एवं भ्रामक सूचना देते हुए पाया गया तो उसे वानिकी में उत्कृष्टता का अवार्ड प्रदान करने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।
13. वेबसाइट में डाले गए अवार्डो पर नोट को भी अन्य ब्योरों के लिए देख सकते है।

प्रपत्र – ख

वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा0वा0अ0शि0प0 अवार्ड – 2019

गैर – भा0वा0अ0शि0प0 व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों के लिए अर्वाड

(अर्वाड की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थना पत्र सहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

1. आवेदक का नाम/संस्था ....

2. लिंग (जहाँ कहीं लागू हों): पुरूष........................ स्त्री ....

3. जन्म तिथि (जहाँ कहीं लागू हों): ..../............/............ दिन/माह/वर्ष

   पता (कर्यालय) ....

   ....

   आवास ....

   ....

4. दूरभाष न./मोबाइल नं. : दूरभाष .... मोबाइल ....

   ई –मेल ....

5. अवार्ड की श्रेणी, जिसके लिए आवेदन किया है (श्रेणी पर सही का निशान लगाए)

ख (i) भा.वा.अ.शि.प. वानिकी अनुसंधान अवार्ड:

(1) राज्य/संघ क्षेत्र वन विभाग/वन निगम/राज्य कृषि विश्वविद्यालय ☐

(2) एकल व्यक्ति/गैर सरकारी संगठन ☐

ख(ii) भा.वा.अ.शि.प. सामुदायिक वन प्रबंध अवार्ड ☐

ख(iii) भा.वा.अ.शि.प. वनाधारित उद्योग अवार्ड ☐

ख (iv) भा.वा.अ.शि.प. कृषि वानिकी अवार्ड: ☐

ख (v) भा.वा.अ.शि.प. वन प्रबंध अवार्ड: ☐

6. अवार्ड के लिए घोषित कार्य का ब्योरा (करीब 500 शब्द)। कृपया संलग्नक के रूप में सहायक प्रलेखों को संलग्न करें।

7. सामाजिक – आर्थिक तथा आर्थिक लाभों सहित योगदान का प्रभाव (करीब 200 षब्द)। कृपया संलग्नक के रूप में सहायक प्रलेखों को संलग्न करें।

8. अवार्ड के लिए घोषित कार्य पर शोध पत्रों/प्रकाशनों/पेटेन्टों का ब्योराः

9. कोई भी अन्य सम्बद्ध सूचनाः

10. उपर्युक्त वर्णित कार्यों से संबंधित प्रकाशनों की सूची/फोटोग्राफ/वीडियों सी डी/दस्तावेज़ आदि संलग्न करें।

1.	2.
3.	4.
5.	6.

11. प्रमाण पत्रः

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

स्थानः
दिनांकः

(नाम एवं पदनाम के साथ आवेदक /संस्थान/संगठन के प्रधिकृत हस्ताक्षर कर्ता के हस्ताक्षर)

12. संस्था के प्रमुख की संस्तुति (केवल उन व्यक्तिगत आवेदकों के मामले में, जो नियुक्त है)

स्थानः
दिनांकः

(संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर एवं मोहर)

निर्देश

1. अवार्ड हेतु यह प्रपत्र (प्रपत्र –ख) गैर – भा0वा0अ0शि0प0 व्यक्तियों, संस्थाओं एवं संगठनों के लिए है।
2. अवार्डो की पाचँ श्रेणियां हैं, जिसके ब्योरे नीचे दिए गए है

   ख(i)भा.वा.अ.शि.प. वानिकी अनुसंधान अवार्डः

   (1) राज्य/संघ क्षेत्र वन विभागों/वन निगमों/राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एक अवार्ड)

   (2) व्यक्तियों/गैर सरकारी संगठन (एक अवार्ड)

   ख(ii) भा.वा.अ.शि.प. सामुदायिक वन प्रबंध अवार्ड (एक अवार्ड)

   ख(iii) भा.वा.अ.शि.प. वनाधारित उद्योग अवार्ड (एक अवार्ड)

   ख(iv) भा.वा.अ.शि.प. कृषिवानिकी अवार्डः (एक अवार्ड)

   ख(v) भा.वा.अ.शि.प. वन प्रबंध अवार्डः (एक अवार्ड)
3. अवार्ड के पूर्ववर्ती पाँच सालों (2014–2018) के दौरान किए गए कार्य के जरिए किए गए विशिष्ट सहयोग के आधार पर अवार्ड पर विचार किया जाएगा।
4. प्रार्थनापत्र सहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ई मेल अथवा नियत तिथि के बाद प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अवार्ड की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6. लिंग तथा जन्मतिथि जैसी सूचना केवल व्यक्तिगत अवार्डों के मामले में उपलब्ध कराई जानी है। अवार्ड के लिए आवेदन वाले करने वाले व्यक्तियों को टीम के मामले में भाग लेने वाले आवेदकों का व्यक्तिगत ब्योरा (पता, जन्मतिथि, सम्पर्क, दूरभाष सं., ई–मेल आदि) दिया जाए।
7. संयुक्त रूप से निष्पादित और अवार्ड के लिए उपयुक्त पाए गए विशिष्ट अनुसंधान कार्य के मामले में, अवार्ड की राशि को अधिकतम तीन तक की सीमा मे रखते हुए एकल पट्टिका के साथ अवार्ड प्राप्त करने वालों में समान रूप से बांटा जाएगा।
8. अपने कार्य के लिए जिसने एक बार अवार्ड प्राप्त कर लिया है तो वह अगले पाँच सालों के लिए दुबारा पात्र नहीं होगा।
9. अवार्ड कार्य के लिए प्रार्थनापत्र केवल विहित फार्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदकों के मामले में, जो व्यक्तिगत अवार्डो के लिए आवेदन कर रहे है और नौकरी में लगे कार्मिक है, उनके प्रार्थनापत्र संस्था के प्रमुख द्वारा अग्रेषित होने चाहिए।
10. विहित प्रपत्र में नहीं प्राप्त होने वाले/किसी भी तरह से अपूर्ण नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. यदि आवेदक गोलमाल सूचना अथवा झूठी एवं भ्रामक सूचना देते हुए पाया गया तो उसे वानिकी में उत्कष्टता का अवार्ड प्रदान करने के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।
12. वेबसाइट में डाले गए अवार्डो पर नोट को भी अन्य ब्योरों के लिए देख सकते है।

प्रपत्र – ग

वानिकी में उत्कृष्टता के लिए भा0वा0अ0शि0प0 अवार्ड – 2019

श्रेणी ग : वानिकी में भा0वा0अ0शि0प0 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड

(प्रार्थनापत्र सहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

1. आवेदक का नाम ....
2. लिंग : पुरूष..................................स्त्री.......................................
3. जन्मतिथि :............../.................../................. (दिन/माह/वर्ष)
4. पता (कार्यालय) ....

   ....

   (आवास): ....

   ....

5. दूरभाष/मोबाइल नं0 दूरभाष .... मोबाइल....................................... ई–मेल ..

   ....

6. शैक्षिक योग्यताओं का ब्योरा (स्नातक तथा इससे ऊपर)
7. अवार्ड के लिए घोषित कार्य का ब्योरा (करीब 500 शब्द, कृपया संलग्नक के रूप में सहायक प्रलेखों को संलग्न करें)

8. सामाजिक – आर्थिक तथा आर्थिक लाभों सहित योगदान का प्रभाव (करीब 500 शब्द, कृपया संलग्नक के रूप में सहायक प्रलेखों को संलग्न करें)

9. अवार्ड के लिए घोषित कार्य पर शोध पत्रों/प्रकाशनों/पेटेन्टों का ब्योरा :

10. कोई भी अन्य सम्बद्ध सूचनाः

11. उपर्युक्त वर्णित कार्यों से संबंधित प्रकाशनों की सूची/फोटोग्राफ/वीडियों सी डी/दस्तावेज़ आदि संलग्न करें।

1.	2.
3.	4.
5.	6.

12. प्रमाण पत्रः

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दिए गए अभी वितरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

स्थानः
दिनांकः

(आवेदक का नाम व हस्ताक्षर)

13. संस्तुति करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी (केवल नियुक्त कार्मिक के मामले में)

स्थानः ....

दिनांकः ....

(संस्था के प्रमुख / संस्तुति करने वाले प्रधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

निर्देश

1. यह प्रपत्र (प्रपत्र – ग) वानिकी में भा0वा0अ0शि0प0 लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए है।
2. इस श्रेणी के अन्तर्गत एक अवार्ड दिया जाएगा तथा यह अवार्ड वानिकी अनुसंधान, प्रबंधन, शिक्षा और/अथवा विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत ऐसे व्यावसायिक (भा0वा0अ0शि0प0 तथा गैर – भा0वा0अ0शि0प0 व्यक्तियों) को प्रदान किया जाएगा, जिसने इस क्षेत्र में असाधारण रूप से विलक्षण कार्य किया हो।
3. प्रार्थनापत्र सहायक प्रलेखों के साथ तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ई–मेल और नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. अवार्ड के लिए प्रार्थनापत्र केवल विहित फार्मेट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे आवेदकों के मामले में जो नौकरी में लगे कार्मिक है, उनके प्रार्थनापत्र संस्था के प्रमुख द्वारा आग्रेषित होने चाहिए।
5. विहित प्रपत्र में नहीं प्राप्त होने वाले/किसी भी तरह से अपूर्ण नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. यदि आवेदक गोलमाल सूचना अथवा झूठी एवं भ्रामक सूचना देते हुए पाया गया तो उसे वानिकी में उत्कृष्टता का अवार्ड प्रदान करने के लिए अयोगय कर दिया जाएगा।
7. वेबसाइट में डाले गए अवार्डो पर नोट को भी अन्य ब्योरो के लिए देख सकते है।